केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम (2023-24)

(कोड संख्या 028)

कक्षा-ग्यारहवीं और बारहवीं

सामग्री की तालिका

क्र.सं.	तालिका	पृष्ठ सं
1	औचित्य	3
2	लक्ष्य और उद्देश्य	3-5
	कक्षा XI (ग्यारहवीं कक्षा)	
3	तर्कसंगत सामग्री	5
4	पाठ्यक्रम संरचना	6-7
5	पाठ्यक्रम सामग्री	7-21
	कक्षा XII (बारहवीं कक्षा)	
6	तर्कसंगत सामग्री	21-22
7	पाठ्यक्रम संरचना	23
8	पाठ्यक्रम सामग्री	24-36
9	प्रश्न पत्र डिजाइन	36-42
10	आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश	43-49
11	अनुलग्नक- संदर्भ सामग्री	49- 65

औचित्य

सामाजिक विज्ञान का एक विषय, राजनीति विज्ञान सरकार या राज्य के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामाजिक संरचनाओं और विधियों को समझने से संबंधित है। यह राजनीतिक व्यवस्था के ऐतिहासिक, दार्शनिक, संवैधानिक और कानूनी आधार को भी समाहित करता है। यह आगे राजनीतिक मूल्यों और विचारों, शासी संस्थानों और उनकी नीति निर्माण प्रक्रिया की पहचान करने की गुंजाइश प्रदान करता है। यह विषय अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकार और राजनीति के कार्यों और प्रक्रियाओं को संबोधित करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र नागरिकता कौशल प्राप्त करें और मानव विविधता की सराहना करके सक्रिय नागरिकों के रूप में संलग्न हों। यह विषय प्रकृति से अंतःविषय है और अन्य सामाजिक विषयों या ज्ञान की शाखाओं को आकर्षित करता है और इस तरह कई तरीकों से उनसे प्रभावित होता है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम छात्रों को राजनीतिक विचारों, विचारधाराओं, संस्थानों, नीतियों, प्रक्रियाओं और व्यवहार के साथ-साथ समूहों, वर्गों, सरकार, कानून, शांति और युद्ध जो मानव समाज और राजनीति का आधार हैं। सामग्री छात्रों के लेखन, संचार, डेटा विश्लेषण कौशल को समृद्ध करती है और दुनिया भर में वर्तमान और अतीत की राजनीतिक घटनाओं के बारे में ज्ञान भी विकसित करती है। उच्च शिक्षा, सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करने वाली अनुशासन और विकासशील दक्षताओं के साथ एक गंभीर जुड़ाव की नींव रखने की दिशा में एक गंभीर प्रयास किया जाता है।

लक्ष्य और उद्देश्य

1. **काम पर भारतीय संविधान:**
    - उन ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रक्रियाओं को समझें जिनमें संविधान का मसौदा तैयार किया गया था।
    - भारतीय संविधान के निर्माताओं को निर्देशित करने वाले विविध दृष्टिकोणों से परिचित हों।
    - लोकतंत्र के तीन स्तंभों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करें: विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका और बदलते समय के साथ उनकी भूमिका।
    - भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की पहचान करें और दुनिया के अन्य संविधानों से उनकी तुलना करें।

2. राजनीतिक सिद्धांत:

- एक नागरिक के राजनीतिक जीवन में निहित विचारों, अवधारणाओं और मूल्यों को पहचानना।
- राजनीतिक घटना का व्यवस्थित प्रतिबिंब और महत्वपूर्ण विश्लेषण।
- 'सामाजिक', 'आर्थिक', 'नैतिक' और इसी तरह के संबंध में 'राजनीतिक' क्या है, इस पर स्पष्टता प्रदान करता है।
- एक अच्छे समाज में एक अच्छे राज्य का निर्माण करने के लिए छात्रों की क्षमता में वृद्धि करना, और प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं, संस्थानों और संरचनाओं का निर्माण करना जो तर्कसंगत रूप से प्राप्त करने योग्य हो सकते हैं।

3. समकालीन विश्व राजनीति

- दुनिया में संप्रभु राज्यों के बीच राजनीतिक बातचीत की प्रकृति की समझ को सक्षम बनाता है।
- शीत युद्ध के बाद के युग में प्रमुख राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं का पता लगाएं।
- विभिन्न वैश्विक संस्थानों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के व्यापक प्रभाव का विश्लेषण करें।
- मानवता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ और सम्मान को बढ़ावा देना।

4. स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति

- स्वतंत्रता के बाद के युग में संवैधानिक संस्थाओं और उनके कामकाज को समझना और उनका विश्लेषण करना।
- राष्ट्र निर्माण में राजनीतिक नेताओं के योगदान की सराहना करें।
- सरकारी ढांचे, प्रक्रियाओं और उनकी नीतियों को समकालीन राजनीतिक से जोड़ने की क्षमता विकसित करना
- वास्तविकताओं।
- छात्रों को भारत में बदलते रुझान और विकास से परिचित कराएं।

तर्कसंगत सामग्री (2023-24)निर्धारित एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अनुसार

1. https://ncert.nic.in/textbook.php?keps1=0-10
2. https://ncert.nic.in/textbook.php?keps2=0-10

ग्यारहवीं कक्षा
पाठ्यक्रम संरचना

अध्याय संख्या	अध्याय	अवधियों की संख्या अंक आवंटित	अंक आवंटित
भाग ए-भारतीय संविधान काम कर रहा है			
1	संविधान: क्यों और कैसे?	12	8
2	भारतीय संविधान में अधिकार	8	
3	चुनाव और प्रतिनिधित्व	14	6
4	कार्यकारिणी	14	12
5	विधान मंडल	14	
6	न्यायतंत्र	14	
7	संघवाद	14	6
8	स्थानीय सरकारों	10	4
9	एक जीवित दस्तावेज के रूप में संविधान	6	4
10	संविधान का दर्शन	6	
	काम पर भारतीय संविधान को आवंटित अवधियों और अंकों की संख्या	**112**	**40**
भाग ख-राजनीतिक सिद्धांत			
1	राजनीतिक सिद्धांत: एक परिचय	8	4
2	आज़ादी	10	12
3	समानता	12	
4	सामाजिक न्याय	12	6
5	अधिकार	14	4
6	सिटिज़नशिप	12	8
7	राष्ट्रवाद	15	
8	धर्मनिरपेक्षता	16	6
	राजनीतिक सिद्धांत के लिए आवंटित अवधियों और अंकों की संख्या	**99**	**40**
	कुल	**211**	**80**

ग्यारहवीं कक्षा
पाठ्यक्रम सामग्री

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया (विचारोत्तेजक)	सीखने के परिणाम विशिष्ट के साथ दक्षताओं
भाग क-भारतीय संविधान काम कर रहा है				
1	**संविधान: क्यों और कैसे?** **क) हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है?** • संविधान समन्वय और आश्वासन की अनुमति देता है • निर्णय लेने की शक्तियों की विशिष्टता • सरकार की शक्तियों पर सीमाएं • समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य • लोगों की मौलिक पहचान **ख) एक संविधान का अधिकार** • प्रचार का तरीका • संविधान के मूल प्रावधान • संतुलित संस्थागत डिजाइन **ग) भारतीय संविधान कैसे बना?** • संविधान सभा की संरचना • प्रक्रियाएं • राष्ट्रवादी आंदोलन की	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • संविधान के कामकाज के प्रमुख पहलू। • देश में सरकार के विभिन्न संस्थान और एक दूसरे के साथ उनके संबंध। • परिस्थितियाँ और परिस्थितियाँ जिनमें भारत का संविधान बनाया गया था। • भारतीय संविधान और दुनिया के अन्य संविधानों की प्रमुख विशेषताएं।	तुलनात्मक विश्लेषण: विभिन्न संविधान प्रस्तावना का वाचन **समूह चर्चा और वाद-विवाद:** इसे चलाने के लिए नियमों और विनियमों के एक सेट के अभाव में एक संगठन में क्या होता है? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने हमारे संविधान के निर्माण को किस हद तक प्रभावित किया? टाइमलाइन/ फ़्लोचार्ट प्रश्न रणनीति प्रश्न पूछना	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • एक संविधान की आवश्यकता की सराहना करते हैं। • उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और परिस्थितियों को समझें जिनमें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। • समालोचनात्मक मूल्यांकन करें कि संविधान, समाज में शक्ति के वितरण को कैसे नियंत्रित करता है। • उन तरीकों का विश्लेषण करें जिनसे संविधान के प्रावधानों ने वास्तविक राजनीतिक जीवन में काम किया है।

	विरासत • संस्थागत व्यवस्था **घ) विभिन्न देशों के संविधानों से अनुकूलित प्रावधान**			
2	**भारतीय संविधान में अधिकार** **क) अधिकारों का महत्व** • अधिकारों का विधेयक **ख) भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार**	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार • अधिकारों के संरक्षण का तरीका • इन अधिकारों की रक्षा और	• **चर्चा:** अधिकार, अधिकारों के प्रकार, कुछ अधिकारों को मौलिक क्यों माना जाता है?	**अध्याय के पूरा होने के बाद छात्र निम्न में सक्षम होंगे:** • वास्तविक जीवन में संविधान की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करें • दूसरों का सम्मान करना सीखें,

	• समानता का अधिकार • स्वतंत्रता का अधिकार • शोषण के विरुद्ध अधिकार • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार • संवैधानिक उपचारों का अधिकार **ग) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत** • नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है? **घ) मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध**	व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका • मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच तुलना।	• व्याख्यान विधि • **तुलनात्मक विश्लेषण:** भारत और अन्य देशों में गारंटीकृत अधिकार • **मंथन:** क्या निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देनी चाहिए? • नाटक निर्माण • **कोलाज–मेकिंग**: अधिकारों का उल्लंघन	आलोचनात्मक रूप से सोचें और सूचित निर्णय लें • अपने आसपास के समाज में समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करें • गारंटीकृत अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों की आवश्यकता को न्यायोचित ठहराएं। • अपने आसपास के लोगों को अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए वकालत करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करें।
3	**चुनाव और प्रतिनिधित्व** **क) चुनाव और लोकतंत्र** **ख) भारत में चुनाव प्रणाली** • फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम • आनुपातिक प्रतिनिधित्व **ग) भारत ने एफपीटीपी प्रणाली को क्यों अपनाया?** **घ) निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण** **ङ) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव** • सार्वभौमिक मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार • स्वतंत्र चुनाव आयोग	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • भारत में चुनाव प्रक्रिया • भारत के चुनाव आयोग की संरचना और कार्य • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का औचित्य। • चुनाव सुधारों की आवश्यकता।	नकली चुनाव करा रहे हैं **तुलनात्मक विश्लेषण**: विभिन्न देशों की चुनाव प्रक्रिया कार्टून/ कैरिकेचर पर विचार करना **समूह चर्चा**: चुनौतियाँ और सुधार **चिंतनशील पूछताछ**: ज्ञात तथ्यों को दोहराना	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • चुनाव के विभिन्न प्रकार और तरीकों की पहचान करें • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण सोच विकसित करना। • चुनाव आयोग द्वारा निभाई गई सहज भूमिका का प्रदर्शन करें

	च) चुनावी सुधार			• विश्व के विभिन्न देशों की चुनाव प्रणालियों की तुलना कीजिए
4	**कार्यकारिणी** **क) एक कार्यकारी क्या है?** **ख) विभिन्न प्रकार के अधिकारी क्या हैं?** **ग) भारत में संसदीय कार्यपालिका** • राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति • राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ **घ) प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद** **ङ)स्थायी कार्यकारी: नौकरशाही**	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • कार्यकारी का अर्थ • कार्यपालिका के संसदीय और अध्यक्षीय स्वरूपों के बीच अंतर • भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। • मंत्रिपरिषद की संरचना, शक्तियां और कार्यप्रणाली तथा प्रधानमंत्री का महत्व • प्रशासनिक मशीनरी का महत्व और कार्यप्रणाली।	• **तुलनात्मक विश्लेषण:** कार्यपालिका के विभिन्न रूप कार्टून/ कैरिकेचर की व्याख्या • चर्चा और वाद-विवाद: वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका की शक्तियाँ और कार्य • प्रश्न पूछना	**अध्याय के पूरा होने के बाद छात्र सक्षम हो जाएगा:** • कार्यपालिका के अर्थ को पहचानें। • संसदीय और राष्ट्रपति की कार्यकारिणी की तुलना और अंतर करें। • कार्यकारी की संरचना और कामकाज का विश्लेषण करें। • प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानें।
5	**विधान मंडल** **क) हमें संसद की आवश्यकता क्यों है?** **ख) हमें संसद के दो सदनों की आवश्यकता क्यों है?** • राज्य सभा • लोक सभा **ग) संसद क्या करती है?** • राज्य सभा की शक्तियाँ • राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ **घ) संसद कानून कैसे बनाती है?**	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • विधानमंडल का महत्व। • विधायिका के प्रकार - एक सदनीय और द्विसदनात्मक। • भारतीय संसद की शक्तियां और कार्य • कानून बनाने की प्रक्रिया और भारत में विभिन्न प्रकार के बिल • कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के साधन। • लोकसभा और राज्यसभा की	• **तुलनात्मक विश्लेषण:** लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य बिल-श्रेणी की गतिविधि/ नकली संसद का पारित होना • **मानचित्र गतिविधि:** द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों की पहचान • कार्टून व्याख्या	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। • लोक सभा और राज्य सभा की शक्तियों और कार्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। • कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का परीक्षण कीजिए। • भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए संसदीय

	ङ) संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? **च) संसद की समितियाँ क्या करती हैं?** **छ) संसद खुद को कैसे नियंत्रित करती है?**	संरचना, शक्तियाँ और कार्य।		समितियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
6	**न्यायतंत्र** **क)हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है?** • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्यायाधीशों की नियुक्ति • न्यायाधीशों को हटाना **ख) न्यायपालिका की संरचना** **ग) सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार** • मूल न्यायाधिकार • रिट क्षेत्राधिकार • अपील न्यायिक क्षेत्र • सलाहकार क्षेत्राधिकार **घ) न्यायिक सक्रियता** **ङ) न्यायपालिका और अधिकार** **च) न्यायपालिका और संसद**	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता। • सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न क्षेत्राधिकार • न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक अति-पहुंच के बीच अंतर • न्यायपालिका और संसद के बीच संघर्ष।	• **रचनावादी दृष्टिकोण:** भारत की न्यायिक प्रणाली का महत्व। • मूट कोर्ट • **चर्चा:** भारतीय न्यायपालिका की मुखरता को बढ़ाना। • **वाद-विवाद:** शक्तियों का पृथक्करण कितनी दूर तक किया जाता है?	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • उन विभिन्न पहलुओं की पहचान करें जो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाते हैं • विभिन्न न्यायालयों की तुलना करें और अंतर करें • विश्लेषण करें कि क्यों न्यायपालिका सक्रिय हो गई है। • संवैधानिक संशोधनों के संबंध में न्यायपालिका और संसद के बीच संघर्ष के कारणों की जांच करें।
7	**संघवाद** **क) संघवाद क्या है?** **ख) भारतीय संविधान में संघवाद**	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • संघवाद के प्रमुख विचार और बुनियादी अवधारणाएँ। • संघवाद के संबंध में भारतीय	• कार्टून व्याख्या • पाठ्य पठन • **समूह चर्चा/ वाद-विवाद:** प्रचलित मुद्दे	**अध्याय के पूरा होने के बाद छात्र सक्षम होंगे:** • संघ की बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या करें।

	• शक्तियों का विभाजन **ग) एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघवाद** **घ) भारत की संघीय प्रणाली में संघर्ष** • केंद्र-राज्य संबंध • स्वायत्तता की मांग • राज्यपालों की भूमिका और **ङ)राष्ट्रपति शासन** • नए राज्यों की मांग • अंतर्राज्यीय संघर्ष **च) विशेष प्रावधान** • जम्मू और कश्मीर	संविधान के प्रावधान। • भारत में इसकी विविधता और आकार के कारण एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता है। • केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से जुड़े मुद्दे	• केंद्र-राज्य संबंध। • मानचित्र गतिविधि	• सरकार के विभिन्न स्तरों और विषयों की पहचान करें जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। • उन विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें जिनके कारण भारत में एक मजबूत केंद्र बना।
8	**स्थानीय सरकारों** **क) स्थानीय सरकारें क्यों?** **ख) भारत में स्थानीय सरकार का विकास** • स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकारें **ग) 73वां और 74वां संशोधन** **घ) 73वां संशोधन** • तीन स्तरीय संरचना • चुनाव • आरक्षण • विषयों का स्थानांतरण • राज्य चुनाव आयुक्त	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • महत्व और स्थानीय सरकार की आवश्यकता। • स्थानीय सरकारी निकायों के कार्य और उत्तरदायित्व • 73वें और 74वें संशोधन का महत्व • विकेंद्रीकरण के गुण और दोष • स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ	परिभाषाओं का पुनर्पूंजीकरण • **समयरेखा**: स्थानीय सरकार के उद्भव का चित्रण। • **फ़्लोचार्ट**: पंचायती राज की संरचनात्मक व्यवस्था पर। • **अवधारणा मानचित्र**: ग्रामीण और शहरी स्तर पर स्थानीय सरकारी निकायों के कार्य • **समूह प्रस्तुति**: संशोधन • **वाद-विवाद/ समूह चर्चा**: विकेंद्रीकरण के गुण और दोष	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • भारत में स्थानीय सरकार की पंचायती राज व्यवस्था, उसके उद्भव और महत्व को समझें • ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारी निकायों के उद्देश्यों, कार्यों और आय के स्रोतों की पहचान करें • 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के महत्व को न्यायोचित ठहराइए • विकेंद्रीकरण के महत्व को

	• राज्य वित्त आयोग **ङ) 74वां संशोधन** **च) 73वें और 74वें संशोधन का कार्यान्वयन**			स्वीकार करें और उसकी जांच करें • स्थानीय सरकारी निकायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता का आत्मनिरीक्षण करें और महसूस करें
9	**एक जीवित दस्तावेज के रूप में संविधान** **क) क्या संविधान स्थिर हैं?** **ख) संविधान में संशोधन कैसे करें?** **ग) इतने सारे संशोधन क्यों किए गए हैं?** **घ) अब तक किए गए संशोधनों की सामग्री** • अलग व्याख्या • राजनीतिक सहमति के माध्यम से संशोधन • विवादास्पद संशोधन **ङ)संविधान की मूल संरचना और विकास** **च) एक जीवित दस्तावेज़ के रूप में संविधान** • न्यायपालिका का योगदान • राजनीतिक नेतृत्व की परिपक्वता	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली • बदलती परिस्थितियों के प्रति भारतीय संविधान की प्रतिक्रिया • भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया • विभिन्न प्रकार के संशोधन • संविधान की रक्षा और व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका	• **मंथन:** हमारे संविधान की उपलब्धियों और कमियों का आकलन करने के लिए • **बहस:** क्या न्यायपालिका के पास संशोधनों की वैधता निर्धारित करने की शक्ति होनी चाहिए? • **चर्चा:** क्या संविधान में संशोधन जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार हैं या सत्ता पक्ष की सनक और सनक से निर्देशित हैं?	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • संविधान के कामकाज का विश्लेषण करें। • हुए विभिन्न संशोधनों और उठाए गए विवादों को जानें। • सराहना करें कि संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है

10	**संविधान का दर्शन** **क) संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है?** • लोकतांत्रिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान **ख) हमें संविधान सभा में वापस जाने की आवश्यकता क्यों है?** **ग) हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है?** • व्यक्तिगत स्वतंत्रता • सामाजिक न्याय • विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान • धर्मनिरपेक्षता • सार्वभौमिक मताधिकार • संघवाद • राष्ट्रीय पहचान **घ) प्रक्रियात्मक उपलब्धियां** **ङ) आलोचना** **च) सीमाएं**	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • संविधान के लिए एक राजनीतिक दर्शन दृष्टिकोण का अर्थ और आवश्यकता। • संविधान बनाने वालों की मंशा और चिंताएं। • भारतीय संविधान का दर्शन। • संविधान की ताकत और सीमाएं।	• **समूह चर्चा:** भारतीय संविधान का मार्गदर्शक दर्शन • प्रश्न रणनीति • प्रश्न पूछना • महान विचारकों के कार्यों को पढ़ना	**अध्याय के पूरा होने पर, छात्र सक्षम होंगे:** • हमारे संविधान की दार्शनिक दृष्टि की सराहना करते हैं। • भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं को पहचानें। • संविधान की शक्तियों और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए।
भाग बी- राजनीतिक सिद्धांत				
1	**राजनीतिक सिद्धांत:** एक परिचय **क)** राजनीति क्या है? **ख)** हम राजनीति में क्या पढ़ते	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और महत्व। • विभिन्न राजनीतिक अवधारणाएँ	• विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं से राजनीतिक कार्टून एकत्र करना और उठाए गए मुद्दों पर चर्चा	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • राजनीति शब्द को परिभाषित करें और विभिन्न राजनीतिक

	हैं **ग)**राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार प्रस्तुत करना **घ)हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए?**	• राजनीतिक विचारकों का योगदान • मूल प्रश्न: • एक समाज को कैसे संगठित होना चाहिए? • हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है?	करना • महान विचारकों के कार्यों को पढ़ना • प्रश्न पूछना	सिद्धांतों की पहचान करें। • विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों के सहज विचारों की व्याख्या करें। • राजनीतिक चिंतकों (उदाहरण: जीन जैक्स रूसो) के योगदान की सराहना करें।
2	**आज़ादी** **क)** स्वतंत्रता का आदर्श **ख)** बाधाओं के स्रोत-हमें बाधाओं की आवश्यकता क्यों है **ग)**हानिकारक सिद्धांत नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • अन्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की का संघर्ष। • 'स्वतंत्रता' की अवधारणा। • बाधाओं के स्रोत और बाधाओं की आवश्यकता • सामान्य रूप से व्यक्तियों और समाज के लिए स्वतंत्रता का महत्व। • नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर करें। • जेएस मिल द्वारा प्रतिपादित हार्म सिद्धांत	• **चर्चा:** व्यक्तिगत स्वतंत्रता • **बहस:** क्या ड्रेस कोड व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है? • **तुलनात्मक विश्लेषण:** नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता • विषय से संबंधित वर्तमान केस स्टडीज की जांच करें। • प्रश्न पूछना	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • स्वतंत्रता के आदर्श की सराहना करें। • नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के आयामों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। • पूछताछ की भावना प्रदर्शित करें • जे.एस. द्वारा पेश किए गए विचारों की व्याख्या करें। हार्म सिद्धांत में चक्की। • समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं से उत्पन्न स्वतंत्रता पर संभावित सीमाओं का आकलन करें।
3	**समानता** **क) समानता क्यों मायने रखती है?** • अवसरों की समानता	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • समानता की अवधारणा। • समानता के विभिन्न आयाम-	• **चर्चा और बहस:** समानता का प्रचार महान विचारकों के कार्यों को पढ़ना। • चिंतनशील पूछताछ और	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • समानता के नैतिक और राजनीतिक आदर्शों को समझें।

	• प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएँ **ख) समानता के तीन आयाम** **ग) नारीवाद, समाजवाद** **हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं?**	राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक • समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद की विभिन्न विचारधाराएँ। • समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरीके।	पुनर्पूंजीकरण • समानता पर व्यंग्य • रोल प्ले	• मूल्यांकन करें कि विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से समानता को कैसे समझा जाता है • समानता को बढ़ावा देने के साधनों और तरीकों को पहचानें। • असमानता को कम करने के लिए संभावित समाधानों का मूल्यांकन करें।
4	**सामाजिक न्याय** **क) न्याय क्या है?** • समानों के लिए समान व्यवहार • आनुपातिक न्याय • विशेष आवश्यकताओं की पहचान **ख) सिर्फ वितरण** **ग) जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ़ जस्टिस** **घ) सामाजिक न्याय का पीछा करना** मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • न्याय का अर्थ • विभिन्न समाजों में न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है • वितरणात्मक और समानुपातिक न्याय की अवधारणा • निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज पर जॉन रॉल्स के तर्क। • मुक्त बाजार के लाभ और सीमाएं	• **बहस:** मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप • प्रश्न पूछना • **तुलनात्मक विश्लेषण:**न्याय के आयाम	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • न्याय के विभिन्न आयामों को वर्गीकृत करें। • सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों की सराहना करें। • स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए लोगों की बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें। • जॉन रॉल्स के अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए।
5	**अधिकार** **क)** अधिकार क्या हैं?	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:**	• **चर्चा**: अधिकारों का महत्व • सहयोगात्मक अधिगम-	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:**

	ख) अधिकार कहां से आते हैं **ग)** कानूनी अधिकार और राज्य **घ)**अधिकारों के प्रकार अधिकार एवं उत्तरदायित्व	• अधिकारों की परिभाषा और महत्व। • अधिकार सभी नागरिकों को गारंटीकृत हैं • मानव अधिकारों का महत्व • विभिन्न प्रकार के अधिकार- राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक।	विभिन्न प्रकार के अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्य सौंपना। • **तुलनात्मक विश्लेषण**: विभिन्न प्रकार के अधिकार	• अधिकारों को परिभाषित करें • अधिकारों की आवश्यकता और मानव जाति के लिए इसके महत्व की पहचान करें। • व्याख्या करें कि अधिकारों को कानून द्वारा स्वीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। • विभिन्न प्रकार के अधिकारों की विशेषताओं का वर्णन करें।
6	**सिटिज़नशिप** **क)**परिचय **ख)**पूर्ण और समान सदस्यता **ग)**समान अधिकार **घ)**नागरिक और राष्ट्र **ङ)**सार्वभौमिक नागरिकता वैश्विक नागरिकता	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • नागरिकता से जुड़े वाद-विवाद • नागरिक और राष्ट्र के बीच संबंध; और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई नागरिकता के विभिन्न मानदंड। • शरणार्थियों या अवैध प्रवासियों के बारे में मुद्दे • वैश्विक नागरिकता की अवधारणा	• **चर्चा**: विभिन्न देशों द्वारा नागरिकता प्रदान करने के मानदंड सामने रखे गए हैं • **बहस**: क्या भारत को दोहरी नागरिकता देनी चाहिए? • समाचार पत्रों के लेखों की व्याख्या	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • नागरिकता का अर्थ स्पष्ट करें। • नागरिकता प्रदान करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा में योगदान दें। • नागरिकता के मुद्दे को हल करने के संभावित समाधान या विकल्पों पर चर्चा करें। • लोगों और सरकारों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए समस्याओं का विश्लेषण करें
7	**राष्ट्रवाद** **क)** राष्ट्रवाद का परिचय **ख)** राष्ट्र और राष्ट्रवाद • साझा विश्वास • इतिहास	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • राष्ट्रवाद का उद्भव और चरण • राज्य, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बीच अंतर	• परिभाषाओं का पुनर्पूंजीकरण। • **समूह अंतः** क्रिया: वे कारक जो सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने में मदद	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को समझें • राष्ट्रवाद की ताकत और सीमाओं

	• साझा राष्ट्रीय पहचान **ग)** राष्ट्रीय आत्मनिर्णय राष्ट्रवाद और बहुलवाद	• राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा • राष्ट्रवाद और बहुलवाद के बीच अंतर	करते हैं • शाब्दिक व्याख्या • **बहस**: क्या पहचान के दावे सामाजिक विभाजन की ओर ले जा सकते हैं या यह कई पहचानों को मजबूत और मान्यता देगा?	का आकलन करें। • सामूहिक पहचान के निर्माण से संबंधित कारकों की पहचान करना और उन पर समझ बनाना • राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अवधारणा का परीक्षण करें • राष्ट्रों को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करें
8	**धर्मनिरपेक्षता** **क) धर्मनिरपेक्षता क्या है?** • अंतर्धार्मिक वर्चस्व • अंतर-धार्मिक वर्चस्व **ख) धर्मनिरपेक्ष राज्य** **ग) धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल** **घ) धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल भारतीय** **ङ) धर्मनिरपेक्षता की आलोचना** • पश्चिमी आयात • अल्पसंख्यकवाद • हस्तक्षेप करने वाला • वोट बैंक की राजनीति	छात्रों को इससे परिचित कराएं: • धर्मनिरपेक्षता का अर्थ • अंतर-धार्मिक और अंतर-धार्मिक वर्चस्व। • एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण • धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी और भारतीय मॉडल। • भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सीमाएं	• **चर्चा और बहस:** भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर • पूछताछ आधारित शिक्षा • **तुलनात्मक अध्ययन:** पश्चिमी मॉडल और धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल।	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम हो जाएगा:** • धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करें। • अंतर-धार्मिक और अंतर-धार्मिक प्रभुत्व के बीच अंतर करें। • एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को पहचानें। • धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय मॉडल की तुलना करें। • भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मूल्यांकन कीजिए

निर्धारित पाठ्यपुस्तकें:

1) काम पर भारतीय संविधान, कक्षा XI, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित
2) राजनीतिक सिद्धांत, कक्षा XI, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित
3) अनुलग्नक में दस्तावेज़ के साथ उपलब्ध अतिरिक्त संदर्भ सामग्री

बारहवीं कक्षा
पाठ्यक्रम संरचना

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	अवधियों की संख्या	अंक आवंटित
भाग ए–समकालीन विश्व राजनीति			
1	द्विध्रुवीयता का अंत	15	6
2	शक्ति के समकालीन केंद्र	18	6
3	समकालीन दक्षिण एशिया	18	6
4	अंतरराष्ट्रीय संगठन	10	6
5	समकालीन दुनिया में सुरक्षा	10	6
6	पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन	12	6
7	भूमंडलीकरण	12	4
		95	**40**
भाग ख–स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति			
1	राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ	16	6
2	एक दलीय प्रभुत्व का युग	8	4
3	नियोजित विकास की राजनीति	12	2
4	भारत के बाहरी संबंध	20	6
5	कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ और बहाली	12	4
6	लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट	15	4
7	क्षेत्रीय आकांक्षाएं	15	6
8	भारतीय राजनीति में हाल के विकास	20	8
		118	**40**
	कुल	**213**	**80**

बारहवीं कक्षा
पाठ्यक्रम सामग्री

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया (विचारोत्तेजक)	सीखने के परिणाम विशिष्ट के साथ दक्षताओं
	भाग ए-समकालीन विश्व राजनीति			
1	**द्विध्रुवीयता का अंत** **ध्यान केंद्रित करने वाले विषय:** **क)** सोवियत प्रणाली **ख)** गोर्बाचेव और विघटन **ग)** सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम **घ)** शॉक थेरेपी और इसके परिणाम **ङ)** विश्व राजनीति में नई संस्थाएँ • रूस • बाल्कन राज्य • मध्य एशियाई राज्य **च)** रूस और साम्यवाद के बाद के अन्य देशों के साथ भारत के संबंध	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • सोवियत संघ के गठन के ऐतिहासिक तथ्य और प्रक्रियाएं। • सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम • शॉक थेरेपी और इसके परिणाम। • भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों में हुए तनाव और संघर्ष। • भारत और साम्यवाद के बाद के देशों के बीच संबंध	• **समूह चर्चा:** सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम • वृत्तचित्र-अतीत	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • सोवियत प्रणाली की बुनियादी विशेषताओं की पहचान करें। • सोवियत संघ के विघटन की पृष्ठभूमि और परिणाम पर चर्चा करें। • एकध्रुवीय विश्व के परिणामों का परीक्षण कीजिए • शॉक थेरेपी की विशेषताओं का आकलन करें • साम्यवाद के बाद के देशों में हाल की घटनाओं की जाँच करें। • भारत के बीच विकास का पता लगाएं
2	**शक्ति के समकालीन केंद्र** **ध्यान केंद्रित करने वाले विषय:** **क)** यूरोपीय संघ **ख)** दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। • यूरोपीय संघ और आसियान सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में। • चीन का आर्थिक उत्थान और विश्व	• **चर्चा:** क्षेत्रीय संगठनों पर महत्व • **तुलनात्मक अध्ययन**: चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की आर्थिक वृद्धि।	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • यूरोपीय संघ और आसियान के महत्व की तुलना करें और इसके विपरीत करें। • चीनी अर्थव्यवस्था के उदय की

	ग) एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय **घ)** उभरती शक्तियों के रूप में जापान और दक्षिण कोरिया	राजनीति पर इसका प्रभाव। • चीन के साथ भारत के संबंध।	• कालक्रम का उपयोग • पूछताछ आधारित शिक्षा • मानचित्र गतिविधि • कार्टूनों/ चित्रों/ समाचार पत्रों की कतरनों की व्याख्या	सीमा और विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें। • चीन के साथ भारत के संबंधों को सारांशित करें।
3	**समकालीन दक्षिण एशिया ध्यान केंद्रित करने वाले विषय:** **क)** पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य और लोकतंत्र **ख)** नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र **ग)** श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र **घ)** भारत–पाकिस्तान संघर्ष **ङ)** भारत और उसके पड़ोसी **च)** शांति और सहयोग	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • दक्षिण एशियाई क्षेत्र। • क्षेत्र के देशों में राजनीतिक प्रणालियों की प्रकृति। • कारण है कि योगदान दिया • स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान की विफलता • कारक जो बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष का कारण बने। • नेपाल में राजशाही से लोकतंत्र में परिवर्तन की ओर ले जाने वाले घटनाक्रम। • श्रीलंका में गंभीर जातीय संघर्ष के बावजूद आजादी के बाद से लोकतंत्र की निरंतरता • भारत और उसके पड़ोसियों के बीच संबंध • दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का महत्व अमरीका जैसी बड़ी शक्तियों की भूमिका और दक्षिण	**मानचित्र गतिविधि** • **तुलनात्मक विश्लेषण:** दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक व्यवस्था • ऐतिहासिक डेटा का उपयोग • कार्टूनों/ चित्रों/ समाचार पत्रों की कतरनों की व्याख्या • **चर्चा:** श्रीलंका और पाकिस्तान में मौजूदा आर्थिक संकट • प्रश्न पूछना	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सात देशों की पहचान करें और उनका पता लगाएं। • दक्षिण एशियाई क्षेत्र में लोकतंत्र के मिश्रित रिकॉर्ड की सराहना करते हैं। • राजनीतिक नेताओं की भूमिका का परीक्षण करें • इस क्षेत्र में विभिन्न संघर्षों और आंदोलनों के कारणों पर विचार करें। • सार्क के निर्माण का औचित्य सिद्ध कीजिए • दक्षिण एशिया में अमेरिका और चीन की भागीदारी को समझें।

		एशियाई क्षेत्र में चीन।		
4	**अंतरराष्ट्रीय संगठन** **ध्यान केंद्रित करने वाले विषय:** **क)** अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अर्थ और महत्व **ख)** संयुक्त राष्ट्र का विकास **ग)** अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संरचना और कार्य **घ)** संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग **ङ)** शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार **च)** संयुक्त राष्ट्र की संरचनाओं, प्रक्रियाओं और क्षेत्राधिकार में सुधार **छ)** भारत और संयुक्त राष्ट्र सुधार **ज) प्रमुख एजेंसियां:** आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आईएलओ, आईएईए। • **एनजीओ:** एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच। • निहितार्थ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भविष्य	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ • अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गठन की आवश्यकता • अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कामकाज • संयुक्त राष्ट्र के अंग और एजेंसियां • बदलती दुनिया में सुधारों की जरूरत है • एकध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र	• **चर्चा और बहस:** संयुक्त राष्ट्र के आवश्यक सुधार • कार्टूनों/ अखबारों की कतरनों की व्याख्या • प्रश्न पूछना • मॉडल संयुक्त राष्ट्र	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • अंतर्राष्ट्रीय संगठन को परिभाषित करें • संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों की भूमिका की सराहना करें • शीत युद्ध के बाद के युग में होने वाली घटनाओं पर विचार करें • संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता को समझें
5	**समकालीन दुनिया में सुरक्षा** **ध्यान केंद्रित करने वाले**	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • सुरक्षा का अर्थ, प्रकृति और प्रकार	• **चर्चा और बहस:** खतरे के नए स्रोत	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:**

	विषय : **क)** अर्थ और सुरक्षा का प्रकार। **ख)** सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा **ग)** सुरक्षा की गैर-परंपरागत धारणाएं। **घ)** खतरों के नए स्रोत **ङ)** सहकारी सुरक्षा **च)** भारत की सुरक्षा रणनीति	• सुरक्षा की बाहरी और आंतरिक धारणाएँ • नए खतरों की उभरती चुनौतियाँ- मानवाधिकार, आतंकवाद, पलायन, स्वास्थ्य, महामारी • सहकारी सुरक्षा की आवश्यकता है • भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक	• तुलनात्मक विश्लेषण: विभिन्न देशों की सुरक्षा चिंताएँ • कार्टून/ चित्रों की व्याख्या • **सहयोगी अवधारणा मानचित्रण**: सुरक्षा के प्रति भारत की पहल और नीतियां।	• सुरक्षा खतरों के कारणों को पहचानें • सुरक्षा चिंताओं का समाधान प्रदान करने के लिए विश्लेषणात्मक कौशल बढ़ाएं। • आज सुरक्षा सुनिश्चित करने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण सोच विकसित करें।
6	**पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन** **ध्यान केंद्रित करने वाले विषय:** **क)** पर्यावरण संबंधी चिंताएं **ख)** ग्लोबल कॉमन्स **ग)** सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां **घ)** पर्यावरण के मुद्दों पर भारत का रुख **ङ)** पर्यावरण आंदोलन **च)** संसाधन भू-राजनीति **छ)** मूल निवासियों के अधिकार	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • पर्यावरण के मुद्दें • ग्लोबल कॉमन्स • पर्यावरण के संरक्षण के प्रति विकसित और विकासशील देशों की जिम्मेदारियां • संसाधन संरक्षण और सतत विकास पर भारत द्वारा किए गए प्रयास • तेल और पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है • पर्यावरणीय आंदोलन • स्वदेशी समुदायों की चिंताएं, उनके अधिकारों की रक्षा में सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका।	• **प्रस्तुति**: पर्यावरण के मुद्दे • संक्षिप्त • **बहस और चर्चा:** दुनिया के स्वदेशी समुदाय और उनकी चिंताएँ • चिंता, जागरूकता और पर्यावरण नैतिकता को मन में बैठाने के लिए समाचार पत्र गतिविधि	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करें और समझाएं • महत्वपूर्ण संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को पहचानें और समझें • पर्यावरण की रक्षा में भारत की जिम्मेदारी के प्रति ज्ञान और प्रशंसा प्रदर्शित करें • सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जिम्मेदारी दिखाने की आवश्यकता को समझें • स्वदेशी समुदायों की चिंताओं

				की प्रकृति के बारे में जानें और समझें कि विभिन्न देशों की सरकारें उनकी दलीलों का जवाब कैसे देती हैं
7	**भूमंडलीकरण** **ध्यान केंद्रित करने वाले विषय:** क) वैश्वीकरण की अवधारणा ख) वैश्वीकरण के कारण और परिणाम ग) भारत और वैश्वीकरण घ) वैश्वीकरण का प्रतिरोध ङ) भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध	**छात्रों को इससे परिचित कराएं:** • वैश्वीकरण की अवधारणा। • वैश्वीकरण के कारण। • वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम। • वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। • वैश्वीकरण और उसके भविष्य के पाठ्यक्रम का प्रतिरोध।	• **समूह चर्चा:** वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। • कार्टून की व्याख्या • प्रश्न रणनीति	**अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे:** • इसकी सराहना करें वैश्वीकरण का महत्व • वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों को स्पष्ट करें। • भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। • वैश्वीकरण के प्रतिरोध आंदोलनों पर ध्यान आकर्षित करें और इसके भविष्य के रुझानों की परिकल्पना करें।
भाग ख-स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति				

1	राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ ध्यान केंद्रित करने वाले विषय: क) नए राष्ट्र के लिए चुनौतियां। • तीन चुनौतियां। **<u>ख)</u>** विभाजन: विस्थापन और पुनर्वास। • विभाजन के परिणाम। ग) रियासतों का एकीकरण। • समस्या • सरकार का दृष्टिकोण • हैदराबाद • मणिपुर राज्यों का पुनर्गठन।	छात्रों को इससे परिचित कराएं: • राष्ट्र निर्माण की प्रकृति और चुनौतियाँ • भारत के विभाजन के कारण और परिणाम। • रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया • रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका • राज्यों का पुनर्गठन	वृत्तचित्र चर्चा: विभाजन के कारण और परिणाम सजीव अनुभव – इस अवधि में रहने वाले लोगों से मिलना। कार्टून व्याख्या नक्शा गतिविधि	अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे: • उन चुनौतियों का विश्लेषण करें जिनका स्वतंत्र भारत ने सामना किया। • उन कारकों का वर्णन करें जिनके कारण भारत का विभाजन हुआ। • उन परिस्थितियों की व्याख्या करें जिनके तहत विभिन्न रियासतों ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। • मूल्यांकन करें कि भाषा राज्यों के पुनर्गठन का आधार कैसे बनी। • राष्ट्र निर्माण में नेताओं द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन करें।

2	एक दलीय प्रभुत्व का युग फोकस किए जाने वाले विषय: क) लोकतंत्र के निर्माण की चुनौती। **<u>ख)</u>** पहले तीन आम चुनावों में कांग्रेस का दबदबा। • कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति • कांग्रेस सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में। • गुटों की सहनशीलता और प्रबंधन ग) विपक्षी दलों का उदय।	छात्रों को इससे परिचित कराएं: • भारत में लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। • स्वतंत्रता के बाद की अवधि में कांग्रेस पार्टी की प्रकृति और प्रभुत्व। विपक्षी दलों का उद्भव और भूमिका	**समूह चर्चा: चुनावी प्रक्रिया में हाल के बदलाव** **तुलनात्मक विश्लेषण: विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधारा** **मानचित्र/कार्टून** **प्रश्न रणनीति** **प्रश्न पूछना**	अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे: • देश में लोकतांत्रिक राजनीति के बने रहने की सराहना करें। • आज़ादी के बाद की चुनावी राजनीति का मूल्यांकन करें • 1952 से 1967 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व का आकलन करें। • विपक्षी दलों की भूमिका का मूल्यांकन करें

3	. नियोजित विकास की राजनीति फोकस किए जाने वाले विषय: क) राजनीतिक प्रतियोगिता। • विकास के विचार। • योजना • योजना आयोग **<u>ख)</u>** प्रारंभिक पहल • प्रथम पंचवर्षीय योजना। तेजी से औद्योगीकरण	छात्रों को इससे परिचित कराएं: • आर्थिक विकास और सामाजिक-आर्थिक न्याय के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में संघर्ष की प्रकृति। • विकास के दो मॉडल • डिजाइन या विकास की योजना। • पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के उदभव लक्ष्य और उद्देश्य। • राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) द्वारा योजना आयोग का प्रतिस्थापन	बहसतथा चर्चा: पहली तीन पंचवर्षीय योजनाएं। तुलनात्मक विश्लेषण: वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा।	अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे: • विकास और सामाजिक-आर्थिक न्याय को संतुलित करने के लिए सरकार द्वारा विचार किए गए विभिन्न विकल्पों की पहचान करें। • वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच के अंतर को जानें • योजना आयोग के गठन की आवश्यकता को समझें। रणनीतिक दीर्घकालिक विकास कार्यक्रम और नीतियों की आवश्यकता की सराहना करें

4	**भारत के बाहरी संबंध** **फोकस किए जाने वाले विषय:** क) **अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ** **ख) गुटनिरपेक्षता की नीति।** **• नेहरू की भूमिका** **• दो शिविरों से दूरी।** **• अफ्रीकी एशियाई एकता** ग) **चीन के साथ शांति और संघर्ष** **• चीनी आक्रमण 1962** **• पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति** **• बांग्लादेश युद्ध 1971** घ) **भारत की परमाणु नीति।**	छात्रों को इससे परिचित कराएं: • भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत • NAM के संस्थापक और अफ्रीकी-एशियाई एकता बनाने में भारत की भूमिका • चीन-भारतीय संबंध - 1962 के आक्रमण से पहले और बाद में और भारतीय राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव • आजादी के बाद से भारत-पाकिस्तान संबंध • भारत की परमाणु नीति के घटक • विश्व राजनीति में बदलते गठजोड़	प्रस्तुति: NAM के संस्थापक, उद्देश्य, सिद्धांत और समकालीन विश्व राजनीति में इसकी प्रासंगिकता समूह चर्चा: चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध (अतीत, वर्तमान और भविष्य) बहस: गठबंधन बदलने पर भारत का रुख अनुसंधान और रिपोर्ट लेखन	अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे: • NAM के महत्व को पहचानें • भारत-चीन संबंधों के बहुपक्षीय पहलुओं की व्याख्या, तुलना और अंतर करना • भारत-पाक युद्धों पर ज्ञान प्रदर्शित करें • सैन्य क्षमता विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करें • उन विकल्पों पर चिंतन और आत्मनिरीक्षण करें जिन पर देश को विकास और शांति निर्माण के लिए विचार करना चाहिए

5	कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और बहाली ध्यान केंद्रित करने वाले विषय: क) राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती • नेहरू से शास्त्री तक • शास्त्री से इंदिरा गांधी तक **<u>ख)</u>** चौथा आम चुनाव 1967 • चुनाव का संदर्भ। • गैर कांग्रेसवाद • चुनावी फैसला • गठबंधन • दलबदल ग) कांग्रेस में विभाजन • इंदिरा बनाम सिंडिकेट • राष्ट्रपति चुनाव 1969 घ) 1971 का चुनाव और कांग्रेस की बहाली परिणाम और उसके बाद	छात्रों को इससे परिचित कराएं: • नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती • कांग्रेस और विपक्षी एकता में फूट • इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस • कांग्रेस प्रणाली की बहाली।	कालक्रम का उपयोग तुलनात्मक विश्लेषण: राजनीतिक उत्तराधिकार समूह चर्चा: कांग्रेस के बदलते चुनावी प्रदर्शन कार्टून की व्याख्या नक्शा गतिविधि	अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे: • नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौतियों को समझें। • कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती के रूप में विपक्षी एकता और कांग्रेस के विभाजन का मूल्यांकन करें। • नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस की तुलना करें और अंतर करें। • इंदिरा गांधी द्वारा सामना की गई चुनौतियों से पार पाने के लिए की गई पहलों का सारांश दें कांग्रेस प्रणाली की बहाली की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए

6	लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट ध्यान केंद्रित करने वाले विषय: क) आपातकाल की पृष्ठभूमि। • आर्थिक संदर्भ। • गुजरात और बिहार आंदोलन • न्यायपालिका के साथ संघर्ष **ख)** आपातकाल की घोषणा • संकट और प्रतिक्रिया • नतीजे ग) आपातकाल के सबक। घ) आपातकाल के बाद की राजनीति। • लोकसभा चुनाव 1977 • जनता सरकार परंपरा	छात्रों को इससे परिचित कराएं: • आपातकाल से पहले के आर्थिक हालात। • गुजरात और बिहार आंदोलन। • कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष। • आपातकाल के परिणाम। • आपातकाल के सबक। • लोकसभा चुनाव-1977।	समूह चर्चा: आपातकाल के संबंध में समाचार पत्रों के लेख और अन्य मीडिया जानकारी के आधार पर प्रश्न पूछना कार्टून व्याख्या नक्शा गतिविधि	अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे: • आपातकाल के कारणों और परिणामों को समझें • आपातकाल के पाठों का परीक्षण करें जनता सरकार के शासन का मूल्यांकन कीजिए

7	क्षेत्रीय आकांक्षाएं ध्यान केंद्रित करने वाले विषय: क) क्षेत्र और राष्ट्र • भारतीय दृष्टिकोण • तनाव के क्षेत्र • जम्मू और कश्मीर • समस्या की जड़ें • बाहरी और आंतरिक विवाद • 1948 से राजनीति • उग्रवाद और उसके बाद • 2022 और उसके बाद **<u>ख)</u>** पंजाब • राजनीतिक संदर्भ • हिंसा का चक्र • शांति का मार्ग ग) पूर्वोत्तर • स्वायत्तता की मांग • अलगाववादी आंदोलन • बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन	. छात्रों को इससे परिचित कराएं: • क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय और सरकार की प्रतिक्रिया • क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगों के अंतर्निहित कारण क्षेत्रवाद को लोकतांत्रिक राजनीति के एक अंग के रूप में मान्यता देने में भारत सरकार की सफलता	समूह चर्चाः देश के विभिन्न भागों में स्वायत्तता की माँगें। तुलनात्मक विश्लेषण: क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया प्रश्न पूछना।	अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे: • क्षेत्रीय मांगों के निहितार्थों पर चर्चा करें। • भारत में अखंडता के महत्व का विश्लेषण करें। • क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों की सराहना करें

8	भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है क) 1990 के दशक का संदर्भ **<u>ख)</u>** गठबंधन का युग • गठबंधन राजनीति ग) पिछड़ा वर्ग राजनीतिक उत्थान • मंडल लागू • राजनीतिक नतीजा घ) सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। • अयोध्या विवाद • विध्वंस और उसके बाद ङ) नई सहमति का उद्भव च) लोकसभा चुनाव 2004 छ) बढ़ती सहमति	छात्रों को इससे परिचित कराएं: • प्रकृति, रुझान और भारतीय राजनीति में विकास और इसके प्रभाव • गठबंधन का युग-राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन • गठबंधन की राजनीति के निहितार्थ • अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय • कांग्रेस प्रणाली का पतन और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का उदय बढ़ती सहमति का उदय	तुलनात्मक विश्लेषण: बीसवीं सदी के साथ वर्तमान परिदृश्य में हो रहे विभिन्न विकास। समय कार्टून/कैरिकेचर की व्याख्या प्रश्न पूछना चिंतनशील पूछताछ	अध्याय के पूरा होने के बाद, छात्र सक्षम होंगे: • 1989 से देश में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समझें • भाजपा के उत्थान और विकास का पता लगाएं। • बढ़ती आम सहमति के क्षेत्रों की पहचान करें

निर्धारित पुस्तकें:

1. समकालीन विश्व राजनीति, बारहवीं कक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित

2. पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास XII, पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी

3. अनुलग्नक में दस्तावेज़ के साथ उपलब्ध अतिरिक्त संदर्भ सामग्री

टिप्पणी:

उपरोक्त पाठ्यपुस्तकें हिंदी और उर्दू संस्करणों में भी उपलब्ध हैं।

प्रश्न पत्र डिजाइन

कक्षा XI-XII (2023-24)

क्र.सं	दक्षताओं	अंक	प्रतिशतता

1	**ज्ञान और स्मरण:** तथ्यों, शर्तों, बुनियादी अवधारणाओं को याद करके पहले सीखी गई सामग्री की स्मृति प्रदर्शित करें।	22	27.5%
2	**समझ:** मुख्य विचारों को व्यवस्थित, तुलना, व्याख्या, वर्णन और बताते हुए तथ्यों और विचारों को समझना।	24	30%
3	**लागू करना:** किसी स्थिति/कार्टून/क्लिपिंग्स/स्रोतों/मानचित्र की व्याख्या करने के लिए अधिग्रहीत ज्ञान, तथ्यों को लागू करके समस्याओं को हल करें	22	27.5%

4	**विश्लेषण और मूल्यांकन:** वर्गीकृत करें, तुलना करें, विपरीत करें या बीच में अंतर करें सूचना का भाग; विभिन्न स्रोतों से व्यवस्थित और/या एकीकृत करें; जांच करें, जानकारी को भागों में संश्लेषित करें और उद्देश्यों या कारणों की पहचान करें। सामान्यीकरण का समर्थन करने के लिए अनुमान लगाएं और सबूत खोजें	12	15%
		80	100%

नोट: शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए योग्यता आधारित प्रश्न कक्षा XI-XII में 40% होंगे

राजनीति विज्ञान (028)

प्रश्न पत्र डिजाइन

पुस्तक	वस्तुनिष्ठ प्रकार/ एमसीक्यू	लघु उत्तर टाइप I	लघु उत्तर टाइप II	गद्यांश/मानचित्र/ कार्टून आधारित	अंक लंबे उत्तर	कुल अंक
	(1अंक)	(2अंक)	(4अंक)	(4अंक)	(6अंक)	
पुस्तक 1 समकालीन विश्व राजनीति	6	3	3	1 (गद्यांश)	2	40

पुस्तक 2: आजादी के बाद से भारत में राजनीति	6	3	2	2 (मानचित्र/कार्टून)	2	40
परियोजना/व्यावहारिक						20
अंकों और प्रश्नों की कुल संख्या	1x12=12	2x6=12	4x5=20	4x3=12	6x4=24	80+20=100

विकल्पों की योजना:

- प्रश्न पत्र पांच भागों (ए, बी, सी, डी और ई) में होगा। भाग सी (एक या दो प्रश्नों में लघु उत्तर प्रकार II) और भाग-ई में एक आंतरिक विकल्प होगा। (सभी प्रश्नों में दीर्घ उत्तर)

• शिक्षार्थियों की विभिन्न मानसिक क्षमताओं का आकलन करने के लिए, प्रश्न पत्र में गद्यांश, दृश्य जैसे मानचित्र, कार्टून पर आधारित प्रश्न शामिल होने की संभावना है। पाठ्यपुस्तकों में प्लस (+) बॉक्स में दी गई जानकारी पर कोई तथ्यात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

· मानचित्र प्रश्न पुस्तक 2 के किसी भी पाठ से लिया जा सकता है (स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति); लेकिन पाठों का भार अपरिवर्तित रहना चाहिए।

• कार्टून और गद्यांश आधारित प्रश्न किसी भी पाठ्यपुस्तक से पूछे जा सकते हैं, लेकिन पाठों का महत्व बनाए रखा जाना चाहिए।

परियोजना कार्य के लिए दिशानिर्देश

कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं

प्रोजेक्ट वर्क: 20 मार्क्स

दलील

वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में राजनीति विज्ञान छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं से रूबरू कराने में सक्षम बनाता है जिससे वे दैनिक जीवन में रूबरू होते हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक बहुआयामी अनुशासन के रूप में उभरा है,जिसमें एक समकालीन अंतःविषय दृष्टिकोण और अनुभवजन्य ढांचा शामिल है, जो सैद्धांतिक धारणाओं के बजाय फील्ड वर्क पर अधिक जोर देता है। सरकार और नागरिक के बीच जुड़ाव एक सक्रिय और चिंतनशील नागरिकों और जीवंत लोकतंत्र के उद्भव को सुनिश्चित करता है। सीबीएसई ने इसलिए राजनीति विज्ञान में परियोजना कार्य को शामिल किया है ताकि छात्रों को पाठ्यपुस्तकों से परे अपनी रुचि का विस्तार करने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके, समुदाय को आकार देने के लिए किए गए निर्णयों को महत्व दिया जा सके और स्वस्थ लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की कार्रवाई की कल्पना की जा सके।

परियोजना कार्य के उद्देश्य:

• शिक्षार्थियों को गहन जांच करने, कार्रवाई शुरू करने और कक्षा XI और XII के दौरान अर्जित ज्ञान और कौशल पर प्रतिबिंबित करने में सक्षम बनाने के लिए

• सामाजिक रचनावाद, प्रेक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित एक सिद्धांत का उपयोग करके वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना

• अपना विषय चुनने और विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करने के लिए स्वतंत्र और सशक्त बनने के लिए,पाठ्यक्रम XI-XII के दौरान प्राप्त विभिन्न दृष्टिकोणों

की जांच करें और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचें।

• स्वतंत्र रूप से/दूसरों के सहयोग से मुद्दों की जांच करने और उन पर विचार करने और सीमाओं की पहचान करने के लिए

• एक विस्तारित और स्वतंत्र कार्य का उत्पादन करने के लिए संचार, सहयोग, समन्वय, महत्वपूर्ण सोच,रचनात्मकता और सहयोग के 21वीं सदी के कौशल का

विकास करना।

शिक्षक की भूमिका:

एक शिक्षक को चाहिए:

• विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद समाचार मीडिया, सरकारी नीतियों, आरबीआई बुलेटिन, नीति आयोग की रिपोर्ट, आईएमएफ/विश्व बैंक की रिपोर्ट आदि

से हाल ही में प्रकाशित अर्क के आधार पर विषय चुनने में प्रत्येक शिक्षार्थी की मदद करI

• समय-समय पर चर्चा के माध्यम से शिक्षार्थी के परियोजना कार्य का समर्थन और निगरानी करने के लिए एक सुविधाप्रदाता की भूमिका

निभाएं।

• प्रासंगिक डेटा के स्रोतों के संदर्भ में अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन करें

• सुनिश्चित करें कि छात्र अपनी परियोजनाओं में प्राथमिक साक्ष्य और अन्य स्रोतों की प्रासंगिकता और उपयोग को समझते हैं यह सुनिश्चित करें कि छात्र सामग्री से निष्कर्ष निकालने में सक्षम हैं; शोध के दौरान सामने आई सीमाओं का उल्लेख करें और शोध कार्य करने में प्रयुक्त उपयुक्त संदर्भ दें

• शिक्षार्थी को साहित्यिक चोरी और शोध कार्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के स्रोत को उद्धृत करने के महत्व के बारे में शिक्षित करें

परियोजना अवलोकन:

• परियोजना का काम 20 अंकों के लिए लागू किया जाएगा।

• 20 अंकों में से 10 अंक वाइवा वॉयस और 10 अंक प्रोजेक्ट

वर्क के लिए आवंटित किए जाते हैं।

 बारहवीं कक्षा के लिए 20 अंकों के परियोजना कार्य का मूल्यांकन आंतरिक और बाह्य परीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए और ग्यारहवीं कक्षा के

लिए मूल्यांकन आंतरिक परीक्षक द्वारा किया जा सकता है।

• परियोजना व्यक्तिगत/जोड़ी/4-5 प्रत्येक का समूह हो सकती है। दिए गए किसी भी विषय पर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता हैI किसी विशेष वर्ग या किसी

समसामयिक मुद्दों का पाठ्यक्रम।

• प्रोजेक्ट का काम फिल्म, एल्बम, गाने, कहानी, वाद-विवाद, रोल प्ले, स्किट, प्रस्तुति, मॉडल, फील्ड सर्वे, मॉक ड्रिल/मॉक इवेंट आदि के रूप में पूरा किया जा

सकता है।

• शिक्षक को परियोजना कार्य की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। छात्र द्वारा लिए गए परियोजना कार्य के विषयों पर शिक्षक द्वारा कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए।

• छात्र शहर के अभिलेखागार में उपलब्ध प्राथमिक स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्रों की कतरनें, तस्वीरें, फिल्म फुटेज और रिकॉर्ड

किए गए लिखित/भाषण भी शामिल हो सकते हैं। उचित प्रमाणीकरण के बाद माध्यमिक स्रोतों का भी उपयोग किया जा सकता है।

मौखिक परीक्षा

• निर्धारित अवधि के अंत में, प्रत्येक शिक्षार्थी परियोजना फ़ाइल में शोध कार्य को बाहरी और आंतरिक परीक्षक के सामने प्रस्तुत करेगा।

• प्रश्न शिक्षार्थी के शोध कार्य/प्रोजेक्ट फाइल से पूछे जाने चाहिए।

• आंतरिक परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया अध्ययन उसका मूल

कार्य है।

• किसी भी संदेह की स्थिति में, प्रामाणिकता की जाँच और सत्यापन किया जाना चाहिए।

अंक निम्नलिखित प्रमुखों के तहत आवंटित किए जाएंगे:

क्र.सं.	अवयव	अंक आवंटित
1	परिचय/अवलोकन	2
2	सामग्री की विविधता	3
3	प्रस्तुति	3
4	निष्कर्ष	1
5	ग्रंथ सूची	1
6	मौखिक परीक्षा	10
7	कुल	20

बारहवीं कक्षा: मूल्यांकन आंतरिक परीक्षक के समन्वय से बाहरी परीक्षक द्वारा किया जाएगा और सीबीएसई द्वारा परियोजना मूल्यांकन की तिथि निर्धारित की जाएगी।

ग्यारहवीं कक्षा: मूल्यांकन आंतरिक परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

1. मौखिक- वाणी

1. निर्धारित अवधि के अंत में, प्रत्येक शिक्षार्थी परियोजना फ़ाइल में शोध कार्य को बाहरी और आंतरिक परीक्षक के सामने प्रस्तुत करेगा।

2. आंतरिक परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी द्वारा किया गया शोध कार्य उसका अपना मौलिक कार्य है।

3. किसी भी संदेह की स्थिति में प्रामाणिकता की जांच और सत्यापन किया जाना चाहिए।

नोट: - बारहवीं कक्षा के लिए: सीबीएसई द्वारा जांच के लिए अंतिम परिणाम घोषित होने तक परियोजना रिपोर्ट को स्कूल द्वारा संरक्षित किया जाना है।

सुझाए गए विषय

ग्यारहवीं कक्षा

1. संविधान का निर्माण।
2. भारत में चुनाव।
3. भारतीय न्यायपालिका प्रणाली की कार्यप्रणाली।
4. सामाजिक न्याय: क्या भारतीय राजनीति में नैतिकता

का पालन किया जाता है

5. मानवाधिकार अधिनियम और भारत में इसकी संतुष्टि।
6. भारतीय विधान पर राजनीतिक प्रभाव।

बारहवीं कक्षा

1.NAM- 1961 से वर्तमान समय तक।

2. बर्लिन की दीवार के निर्माण और उसे गिराने पर विशेष ध्यान देते हुए जर्मनी का विभाजन।

3. सीआईएस-मध्य एशियाई गणराज्य

4. गोर्बाचेव पर विशेष ध्यान देने के साथ यूएसएसआर का विघटन।

5. अरब स्प्रिंग

6. भारत और निम्नलिखित देशों के बीच संबंधों के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को कवर करें। निम्नलिखित में से किसी एक पर फोकस करें (वर्तमान अपडेट हाइलाइट किए जाने चाहिए):

a) भारत और रूस के बीच संबंध

b) भारत और चीन के बीच संबंध

c) भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध

d) भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध

7. आसियान

8. यूरोपीय संघ और ब्रेक्सिट

9. ब्रिक्स

10. सार्क

11. भारत की परमाणु नीति

12. सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी पर फोकस के साथ संयुक्त राष्ट्र।

13. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां - यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ

14. महामारी: कोविड 19- इसका वैश्विक प्रभाव (विवादों के साथ-साथ विश्वव्यापी सहयोग और तैयारियों पर ध्यान दें (कृपया इसके लिए समाचार पत्रों की कतरनें एकत्र करें)

15. भारत का विभाजन-इसके पीछे का सिद्धांत और इसकी विरासत

16. नीति आयोग और योजना आयोग के बीच तुलना और भारत के विकास में उनका योगदान।

17. चुनाव 2019- बीजेपी का उदय और कांग्रेस का पतन (1989-2019)।

18. आपातकाल - भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा

19. एनडीए III और एनडीए IV - सामाजिक और आर्थिक कल्याण कार्यक्रम।

अनुलग्नक

नोट: जोड़ी गई संदर्भ सामग्री केवल कक्षा के लेनदेन के लिए है और इसका परीक्षण नहीं किया जाएगा।

जोड़ा संदर्भ सामग्री

कक्षा XI (2023-24)

पेपर I- काम पर भारतीय संविधान

अध्याय -3: चुनाव और प्रतिनिधित्व

उप-विषय: भारतीय राजनीति में चुनावी सुधार

21वीं सदी में चुनावी सुधारों में ईवीएम [इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन], वीवीपैट [वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल] और नोटा [इनमें से कोई नहीं] का इस्तेमाल

शामिल है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में एक्जिट पोल, चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख

रुपये कर दी गई है। और छोटे राज्यों में 54 लाख से 75 लाख जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूटीएस शामिल हैं।

विधानसभा चुनावों के लिए, बड़े राज्यों में व्यय सीमा 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 28 लाख रुपये कर दी

गई है और चुनावी फंडिंग में चुनावी बॉन्ड का उपयोग भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रमुख सुधार हैं। जिन्होंने समकालीन भारत में चुनावी

प्रक्रिया और मतदाता व्यवहार में क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश की है।

अध्याय 6: न्यायपालिका

उप-विषय: न्यायपालिका ओवररीच

जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका की भूमिकाओं और कार्यों को ग्रहण करती है, इस प्रकार शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को कमजोर कर

देतीहै, यह न्यायिक अतिक्रमण बन जाता है। न्यायपालिकाकी ओर से अनियंत्रित सक्रियता अक्सर इसके अतिरेक कीओर ले जाती है। हम सभी जानते हैं कि

अनुच्छेद 142 और न्यायिक समीक्षा को कई रचनात्मक उपयोगों के लिए रखा गया है, लेकिन एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) को असंवैधानिक

घोषित करने जैसी कुछ कार्रवाइयों ने न्यायिक शक्ति पर जांच लागू करने की कोशिश की, न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में न्यायिक संयम की आवश्यकता पर

प्रकाश डाला।

अध्याय 7: संघवाद

उप-विषय:अर्ध संघवाद ,सहकारी संघवाद & प्रतिस्पर्धी संघवाद

अर्ध संघवाद: भारतीय संघवाद की विशेष विशेषताओं औरप्रावधानों के संदर्भ में हम अर्ध संघवाद& वाक्यांश काउपयोग करते हैं, जो कि के. सी. व्हीयर द्वारा दी गईअवधारणा है। अर्द्ध संघवाद तुलनात्मक रूप से कममजबूत इकाइयों के साथ एक मजबूत केंद्र का प्रतिनिधित्वकरता है। व्हेयर भारतीय मामले को अपने प्रारंभिक चरण में अर्ध संघ - सहायक एकात्मक सुविधाओं के साथ एक संघीय राज्य के बजाय सहायक संघीय सुविधाओं के साथ एक एकात्मक राज्य के रूप में वर्णित करता है।

सहकारी संघवाद: सहकारी संघवाद वह अवधारणा है जोसंघ और राज्यों के बीच संबंधों को दर्शाती है जहां दोनोंएक साथ आते हैं और एक दूसरे के सहयोग से आम समस्याओं को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करते हैं और इस प्रकार एक मजबूत संघ के विकास में योगदान करते हैं।यह संघ और राज्यों के बीच के क्षैतिज संबंध को दर्शाता है जहां किसी को भी दूसरे के ऊपर और ऊपर नहीं रखा जाता है। दोनों के बीच इस मजबूत संबंध को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय संविधान ने अंतर-राज्य परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों, 7वीं अनुसूची आदि जैसे कुछ उपकरणोंऔर एजेंसियों को विकसित और शामिल किया है।

प्रतिस्पर्धी संघवाद: प्रतिस्पर्धी संघवाद सभी राज्यों को संघ केसामने समान और प्रतिस्पर्धी स्तर पर रखता है जहां सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य संसाधनों, सेवाओं और करों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। यह बेहतर प्रदर्शन और वितरण की ओर अग्रसर राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है जो शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदारीकरण के बाद का युग प्रतिस्पर्धी संघवाद की प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां राज्य अपने कामकाज में अधिक स्वायत्त, जवाबदेह और कुशल हैं।

अध्याय 9: एक जीवित दस्तावेज के रूप में संविधान

उप-विषय: संविधान संशोधन

2021 तक, भारत के संविधान में कुल 105 संशोधन हो

चुके हैं।

स्रोत:https://legislative.gov.in/amendment-acts-102-to-onwards

पेपर II- राजनीतिक सिद्धांत

अध्याय 2: स्वतंत्रता

उप-विषय: स्वतंत्रता बनाम स्वतंत्रता

हम अपने आस-पास बहुत कुछ सुनते हैं कि लोग लिबर्टी और फ्रीडम शब्द को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में

इस्तेमाल करते हैं हम अपने आस-पास बहुत कुछ सुनते हैं कि लोग लिबर्टी औरफ्रीडम शब्द को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करतेदिखाई देते हैं।

लेकिन इन दोनों अवधारणाओं के बीच कुछ मूलभूत अंतर हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। लिबर्टी लैटिन शब्द लिबर्टेटम से आया है जिसका अर्थ है एक स्वतंत्र

व्यक्ति की स्थिति। जबकि फ्रीडम अंग्रेजी शब्द : फ्रीडम से आया है जिसकाअर्थ है स्वतंत्र इच्छा की स्थिति;। स्वतंत्रता किसी की इच्छा केअनुसार कार्य करने और

स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति हैजबकि स्वतंत्रता किसी के कार्य को तय करने की शक्ति है।स्वतंत्रता स्वतंत्रता की तुलना में अधिक ठोस अवधारणा है जो

अन्य व्यक्तियों और परिस्थितियों के बजाय राज्य के साथ एकव्यक्ति के संबंध से अधिक जुड़ी हुई है। राज्य अपने नागरिकों कोदी गई स्वतंत्रता के माध्यम से

स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इन दो अवधारणाओं के बीच के अंतर को संक्षेप में

निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है:

आज़ादी

- स्वतंत्र व्यक्ति राज्य की स्वतंत्र इच्छा की स्थिति
- पॉवरटूएक्ट पावरटूडिसाइड
- फ्री टू डू समथिंग फ्री फ्रॉम समथिंग

इन दोनों अवधारणाओं के बीच सामान्य विशेषता यह हैकि दोनों अबाधित रहते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकाबोध किसी भी बंधन से मुक्त है। इसके अलावा, दोनों

अपनी प्राप्ति के संदर्भ में सही या नैतिक अनुरूपता कापालन करते हैं।

अध्याय 4: सामाजिक न्याय

उप-विषय: न्याय के विभिन्न आयाम

अभी तक हमने यह समझने का प्रयास किया कि न्यायशब्द का अर्थ क्या है। इस पर विचार करने के बाद हमेंन्याय के विभिन्न आयामों को जानने की

आवश्यकता हैजो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में हमारी मदद करसकते हैं। कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिकन्याय न्याय के प्रमुख आयाम हैं।

यहाँ हम इन आयामोंको कुछ विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे।

कानूनी न्याय: यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है जो एक समाज में मौजूद कानूनी प्रणाली और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी है। न्यायालय कानून की व्याख्या

करता है और विवाद में शामिल भागीदारों की सुनवाई के बाद इसे लागू करता है। यहाँ, न्याय वह है जो न्यायालय द्वारा प्रशासित होता है और न्यायाधीश की

व्याख्या को न्याय का अवतार माना जाता है।

राजनीतिक न्याय: किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ समान राजनीतिक अधिकारप्रदान करना है। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र

मेंलोगों की स्वतंत्र और निष्पक्ष भागीदारी के लिए खड़ा है।सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय कीअभिव्यक्ति है। निर्वाचित होने और सार्वजनिक

कार्यालयोंको धारण करने में अवसर की समानता, अभिव्यक्ति कीस्वतंत्रता और संघ राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभहैं।

सामाजिक न्याय: इसका अर्थ सभी प्रकार की सामाजिकअसमानताओं को समाप्त करना और जीवन के प्रत्येक क्षेत्रमें प्रत्येक नागरिक को उचित अवसर प्रदान

करना, कानूनकी समानता, भेदभाव का निषेध, सामाजिक सुरक्षा,समान राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान सुनिश्चित करनेके लिए उसके व्यक्तित्व का विकास

करना है। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान हैं और जाति, धर्म, जातलिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई

भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

आर्थिक न्याय:

इसका अर्थ है सभी को अपनी आजीविकाकमाने के समान अवसर प्रदान करना। इसका मतलब ऐसेलोगों की मदद करना भी है जो काम करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षापूरी होनी चाहिए। यह सभी के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने, समान काम के लिए समानवेतन, संसाधनों का उचित वितरण, सभी के लिए समानआर्थिक अवसर आदि का

प्रावधान करने के लिए खड़ा है।जबकि राजनीतिक न्याय की अवधारणा; स्वतंत्रता; केआदर्श के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, आर्थिक औरकानूनी न्याय

समानताके साथ और सामाजिक न्याय ;बंधुत्व ; के साथ, इन सभी चार आयामों का एक उचितसंयोजन जीवन में न्याय प्राप्त करने में मदद करेगा।

अध्याय 5: अधिकार

उप-विषय; मानवाधिकार

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव होने के नातेसभी मनुष्यों को प्राप्त हैं। यह व्यक्ति के सम्मान के

सिद्धांत पर आधारित है। मानवाधिकारों की अवधारणा केपीछे मूलभूत धारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अनैतिकऔर तर्कसंगत है जो गरिमा के साथ व्यवहार

करने काहकदार है। मानवाधिकार सार्वभौमिक और मौलिक दोनों हैं;ये इस अर्थ में सार्वभौमिक हैं कि वे नस्ल, राष्ट्रीयता,समुदाय, धर्म, लिंग, आदि के बावजूद

सभी मनुष्यों केहैं; ये मौलिक भी हैं क्योंकि एक बार दिए जाने के बादइन्हें वापस नहीं लिया जा सकता है।यद्यपि मानव अधिकारों की उपस्थिति का पता प्राचीन

भारतीय दर्शन और संस्कृति में लगाया जा सकता है, यहअवधारणा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1948में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की घोषणा के

साथदुनिया भर में सभी लोगों के लिए 30 अधिकारों को सूचीबद्ध करने के साथ उत्पन्न हुई।

अध्याय 7: राष्ट्रवाद

उप-विषय: बहुसंस्कृतिवाद

सामान्य अर्थ में बहुसंस्कृतिवाद दुनिया के सभी देशों मेंविभिन्न धर्मों, सांस्कृतिक समूहों और समुदायों के लोगोंका सह-अस्तित्व है।

1970 के दशक में अमेरिका औरयूरोप की श्वेत संस्कृति के पक्ष में अन्य संस्कृतियों के समरूपीकरण के विरोध में एक प्रति-संस्कृतिवाद औरमानवाधिकार

आंदोलन के साथ उत्पन्न, बहुसंस्कृतिवाद मेंव्यापक रूप से स्वीकृति और श्रद्धादोनोंकेसिद्धांत शामिल हैं। यह उम्मीद करता है कि दुनिया केसभी देश सांस्कृतिक

समूहों को समान स्वीकृति औरसम्मान देंगे। भारत के संदर्भ में, बहुसंस्कृतिवाद कीअवधारणा की पहचान सलाद बाउलकी धारणा से कीजाती है, जिसकी वकालत

सामाजिक वैज्ञानिक आशीषनंदी करते हैं। यह दर्शाता है कि एक राष्ट्र के भीतरविभिन्न सांस्कृतिक समूह अपने-अपने विशिष्ट रूपों केसाथ अपनी पहचान बनाए

रखते हैं।

बारहवीं कक्षा (2023-24)

पेपर I: समकालीन विश्व राजनीति

अध्याय-1: द्विध्रुवीयता का अंत

उप-विषय:अरब स्प्रिंग

21वीं सदी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र औरलोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ, ऐसी ही एकघटना को अरब वसंत के रूप में जाना जाता है जो

2009 में शुरू हुआ। ट्यूनीशिया में स्थित, अरब वसंत ने अपनी जड़ें जमा लीं जहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफसंघर्ष था। जनता द्वारा शुरू किया

गया जो एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया क्योंकि लोगों ने मौजूदा समस्याओं कोनिरंकुश तानाशाही का परिणाम माना। ट्यूनीशिया में शुरू हुईलोकतंत्र की

मांग पश्चिम एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। होस्नी मुबारक, जो 1979 से मिस्र में सत्ता मेंथे, बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक विरोधों के

परिणामस्वरूप भीगिर गए। इसके अलावा, अरब स्प्रिंग का प्रभाव यमन,बहरीन, लीबिया और सीरिया में भी देखा जा सकता है, जहां लोगों के इसी तरह के विरोध

के कारण पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रि जागृति आई।

अध्याय-2: शक्ति के समकालीन केंद्र

उप-विषय: ब्रिक्स

ब्रिक्स शब्द क्रमशः ब्राजील, रूस, भारत, चीन औरदक्षिण अफ्रीका को संदर्भित करता है। BRIC की स्थापना2006 में रूस में हुई थी। वर्ष 2009 में अपनी पहलीबैठक

में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिकब्रिक्स में बदल गया। ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूपसे प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप न

करनेऔर आपसी समानता के अलावा अपने सदस्यों के बीच पारस्परिक आर्थिक लाभों का सहयोग और वितरण करना है। . ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में

ब्राजील में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने की।

उप-विषय: रूस

रूस अपने विघटन से पहले ही पूर्व सोवियत संघ का सबसेबड़ा हिस्सा रहा है। 1980 के दशक के अंत और 1990के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के

बाद, रूस USSR [सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ] केमजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। रूस की जीडीपी इससमय दुनिया में 11वीं है। रूस के पास खनिजों,

प्राकृतिकसंसाधनों और गैसों के भंडार हैं जो इसे वैश्विक दुनिया मेंएक शक्तिशाली देश बनाते हैं। इसके अलावा, रूस एकपरमाणु राज्य है जिसके पास परिष्कृत

हथियारों का विशालभंडार है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायीसदस्य भी है, जिसे P-5 कहा जाता है।

अध्याय-2 शक्ति के समकालीन केंद्र

उप-विषय: ;ब्रिक्स

ब्रिक्स शब्द क्रमशः ब्राजील, रूस, भारत, चीन औरदक्षिण अफ्रीका को संदर्भित करता है। BRIC की स्थापना 2006 में रूस में हुई थी। वर्ष 2009 में अपनी पहली

बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिकब्रिक्स में बदल गया। ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूसे प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप न

करनेऔर आपसी समानता के अलावा अपने सदस्यों के बीचपारस्परिक आर्थिक लाभों का सहयोग और वितरण करनाहै। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में

ब्राजील मेंसंपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने की।

उप-विषय: ;रूस

रूस अपने विघटन से पहले ही पूर्व सोवियत संघ कासबसे बड़ा हिस्सा रहा है। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटनके

बाद, रूस USSR [सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ]के मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। रूस की जीडीपीइस समय दुनिया में 11वीं है। रूस के पास

खनिजों,प्राकृतिक संसाधनों और गैसों के भंडार हैं जो इसे वैश्विकदुनिया में एक शक्तिशाली देश बनाते हैं। इसके अलावा,रूस एक परमाणु राज्य है जिसके पास

परिष्कृत हथियारोंका विशाल भंडार है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है, जिसे P-5 कहा जाता है।

उप-विषय: भारत

21वीं सदी के भारत को एक महत्वपूर्ण उभरती वैश्विकशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया बहुआयामीतरीके से भारत की शक्ति और उत्थान का अनुभव कर

रही है। 135 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश कीआर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक स्थिति बहुत मजबूत है।आर्थिक दृष्टिकोण से, 5 ट्रिलियन डॉलर की

अर्थव्यवस्थाके लक्ष्य को लक्षित करना, एक प्रतिस्पर्धी विशाल बाजार,दुनिया भर में फैले 200 मिलियन भारतीय डायस्पोरा केसाथ एक प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं सदीमें शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में अलग अर्थ औरप्रमुखता प्रदान करती है। शतक।रणनीतिक दृष्टिकोण से, भारत की सेना स्वदेशी

परमाणुतकनीक के साथ आत्मनिर्भर है जो इसे एक और परमाणुशक्ति बनाती है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान में;मेक इन इंडिया योजना भारतीय

अर्थव्यवस्था का एक और मीलका पत्थर है। ये सभी परिवर्तन भारत को वर्तमान विश्वमें शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे हैं।

उप-विषय: इज़राइल

इजराइल दुनिया के मानचित्र पर एक संकेतक के साथ दिखाया गया है, इजराइल इक्कीसवीं सदी की दुनिया मेंविज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, खुफिया के

अलावाअर्थव्यवस्था के मामले में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में सेएक के रूप में उभरा है। पश्चिम एशियाई देशों की ज्वलंतराजनीति के बीच में स्थित इजराइल

अपने अदम्य रक्षाकौशल, तकनीकी नवाचारों, औद्योगीकरण और कृषिविकास के बल पर वैश्विक राजनीतिक स्थिति की नईऊंचाइयों पर पहुंच गया है।

प्रतिकूलता के खिलाफ टिकनावह सिद्धांत है जिसके साथ एक छोटा यहूदी-यहूदी राष्ट्र,यानी, इज़राइल को सामान्य रूप से समकालीन वैश्विक राजनीति में और

विशेष रूप से अरब-प्रभुत्व वाली पश्चिमएशियाई राजनीति में रखा गया है।

अध्याय4 -: अंतर्राष्ट्रीय संगठन

उप-विषय: यूनेस्को

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी।पेरिस, फ्रांस में अपने मुख्यालय के साथ, यूनेस्को

संयुक्तराष्ट्र का एक विशेष निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्यशिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज और मानव विज्ञान को बढ़ावा देना है। , संस्कृति और संचार। पिछले

कई वर्षों के दौरान, यूनेस्को ने अपने सभी सदस्य देशों में साक्षरता,तकनीकी और शैक्षिक प्रशिक्षण और स्वतंत्र मीडिया आदि को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य किया है।

उप-विषय: यूनिसेफ

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष(यूनिसेफ) की स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा एक निकाय के रूप में की गई थी जिसका

मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन धन एकत्र करना और पूरे विश्व में उनके विकास कार्यों में मदद करना था।इसके अलावा, यूनिसेफ दुनिया के सभी हिस्सों

में बच्चोंके स्वास्थ्य और बेहतर जीवन को बढ़ावा देने वाले कार्योंमें मदद करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। न्यूयॉर्क,संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने

मुख्यालय के साथ,यूनिसेफ दुनिया के लगभग सभी 193 देशों मेंसफलतापूर्वक काम कर रहा है।

उप-विषय: आईएलओ

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), अक्टूबर 1919 मेंजिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय के साथ स्थापित,संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जिसका उद्देश्य वैश्विक

स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से सामाजिकन्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा देना और श्रमिकों केलिए काम करना है। इसके अलावा, महिलाओं

और पुरुषश्रमिकों को उत्पादक कार्यों में संलग्न होने और कार्यस्थलपर उनके लिए सुरक्षा, समता और स्वाभिमान की स्थितिपैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया

जाता है।

अध्याय-5 : समकालीन विश्व में सुरक्षा

उप-विषय: आतंकवाद

आतंकवाद क्रूर हिंसा के व्यवस्थित उपयोग को संदर्भितकरता है जो समाज में भय का माहौल पैदा करता है।इसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बहुतप्रमुख रूप से राजनीतिक-धार्मिक उद्देश्यों के लिए।

नरम आतंकवाद के तीन व्यापक अर्थ हो सकते हैं:

• आतंक का एक व्यवस्थित उपयोग, अक्सर हिंसक, विशेष रूप से जबरदस्ती के साधन के रूप में।

• हिंसक कार्य जिनका उद्देश्य भय (आतंक) पैदा करना है; एक धार्मिक, राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्य के लिए अपराध किया जाता है; और जानबूझकर गैर-लड़ाकों

(नागरिकों) की सुरक्षा को निशाना बनाते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं।

• गैरकानूनी हिंसा और युद्ध की हरकतें।दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जो आतंकवाद सेपीड़ित न हो। हालाँकि कुछ देशों ने आतंकवाद को अच्छे और बुरे आतंकवाद में विभाजित करने का प्रयास किया है, भारत ने हमेशा इस भेद को नकारा है। भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट किया है कि

आतंकवाद को अच्छे या बुरे में विभाजित नहीं किया जा सकता है; यह एक वैश्विक समस्या है और इसका सामूहिक रूप से मुकाबला किया जाना चाहिए।

पेपर II: स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति

अध्याय-1: राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ

.

उप-विषय: पटेल और राष्ट्रीय एकता

भारत के पहले उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री, सरदारवल्लभभाई पटेल, खेड़ा सत्याग्रह (1918) और बारडोली सत्याग्रह (1928) के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के

एकप्रमुख नेता के रूप में उभरे।स्वतंत्रता के समय रियासतों के एकीकरण की समस्या भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक बड़ीचुनौती थी। ऐसे

कठिन समय में, सरदार पटेल ने भारतकी सभी 565 रियासतों को एक करने का कठिन कार्यकिया। भारत के 'लौह पुरुष' के रूप में जाने जाने

वाले,स्वतंत्र भारत में रियासतों के विलय के सवाल पर पटेलका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। वह भारत की क्षेत्रीयअखंडता के साथ किसी तरह के समझौते के पक्ष में

नहींथे। उनके राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल औरदूरदर्शिता से, भारत की 565 रियासतों में से कई नेस्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही भारत में विलय के

लिएअपनी सहमति दे दी थी।सरदार पटेल को तीन राज्यों, हैदराबाद, जूनागढ़ औरकश्मीर से एकीकरण की प्रमुख चुनौतियों का सामना करनापड़ा। उनके नेतृत्व

में भारतीय सेना ने हैदराबाद औरजूनागढ़ को भारत में विलय के लिए मजबूर किया। जिन्नाके विभाजनकारी द्विराष्ट्र सिद्धांत से पाकिस्तान कीमंशा से

भली-भांति वाकिफ रहते हुए कश्मीर पर सरदार पटेल की राय अन्य नेताओं से अलग थी। हैदराबाद कीतरह, वह भी सैन्य अभियानों के माध्यम से कश्मीर

काभारत में एकीकरण चाहता था। लेकिन विभिन्न कारणों सेसरदार पटेल कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से एकीकृतकरने में सफल नहीं हो सके। हालाँकि, पटेल

हमेशा एकआश्चर्यजनक नेता के रूप में रहेंगे, जिन्होंने अपने आपमें एक सच्चे राष्ट्रवादीउत्प्रेरकऔरयथार्थवादीकी विशेषताओं को जोड़ा - भारतीय राजनीतिक

इतिहास में एनसीआर के रूप में लोकप्रिय।

अध्याय-3: नियोजित विकास की राजनीति

उप-विषय: 'नीति आयोग'

स्वतंत्रता के बाद भारत के सुनियोजित विकास के लिए समाजवादी मॉडल पर आधारित एक योजना आयोग का गठन किया गया। लेकिन वैश्वीकरण के युग में, विशेष रूप से 21वीं सदी में, यह अप्रभावी और अप्रासंगिक होता जा रहा था, विशेष रूप से विकास की दबाव वाली चुनौतियों का सामना करने के संदर्भ में। इसलिए, 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के उन्मूलन के बारे में बात की। केंद्र और राज्य स्तर पर नीति निर्माण के संबंध में केंद्र सरकार को आवश्यक और तकनीकी सलाह देने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था।

भारत के प्रधान मंत्री NITI Aayog के पदेन अध्यक्ष हैं और वह NITI Aayog के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। श्री सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीति के हितों में सामंजस्य स्थापित करने और नीति और कार्यक्रम की रणनीतिक और दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार करने के लिए नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग 'बॉटम-अप एप्रोच' अपनाकर सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि यह देश के सभी राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।

उप-विषय: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) या राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार-विमर्श के लिए शीर्ष निकाय है, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं। योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत

करने और जुटाने के लिए भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। परिषद में प्रधान मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके विकल्प, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग (पूर्व योजना आयोग) के सदस्य शामिल हैं।

परिषद के उद्देश्य:

- योजना के क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना
- योजना के समर्थन में राष्ट्र के प्रयास और संसाधनों को मजबूत करना और जुटाना
- सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना और
- देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना।

परिषद के कार्य:

- योजना के लिए संसाधनों के आकलन सहित राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना।
- योजना को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन करना और उन्हें बढ़ाने के उपाय सुझाना।
- राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना; और
- समय-समय पर योजना के कामकाज की समीक्षा करना और ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।
- राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए उपायों की सिफारिश करना।

अध्याय-4: भारत के बाहरी संबंध

उप-विषय: 'भारत-इज़राइल संबंध'

स्वतंत्रता के लगभग 45 वर्षों के बाद, विभिन्न कारणों से, 1947 और 1948 में क्रमशः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से दो राष्ट्रों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद, इज़राइल के साथ भारत की विदेश नीति काफी हद तक अछूती रही।

हालांकि भारत और इजरायल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध पुराने समय से चले आ रहे हैं, लेकिन 1992 में भारत में इजरायली दूतावास के उद्घाटन के बाद दोनों के बीच औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध विकसित हुए।

2017 और 2018 में सरकार के दो प्रमुखों की यात्राओं के साथ दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सुरक्षा और रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल और ऊर्जा और कृषि विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग शुरू किया है।

उप-विषय: 'भारत का परमाणु कार्यक्रम' (अपडेट)

भारत की परमाणु नीति हमेशा शांतिप्रिय रही है, जिसकी स्पष्ट छाप नो फर्स्ट यूज की नीति में दिखाई देती है। लेकिन समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर, वर्तमान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप पहले उपयोग न करने की नीति की समीक्षा की जा सकती है और इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा, भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में अपनी सदस्यता सुनिश्चित करने और CTBT और NPT जैसी पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण परमाणु संधियों का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जय प्रकाश नारायण के अनुसार परिवर्तन का सार 'मनुष्य' के इर्द-गिर्द घूमता है जो भारत में परिवर्तन का वास्तविक उत्प्रेरक हो सकता है।

अध्याय-6 :लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

उप-विषय: जय प्रकाश नारायण

जय प्रकाश नारायण को तीन प्रमुख योगदानों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, साम्यवादी समाजवाद का सिद्धांत और 'सम्पूर्ण क्रांति' का समर्थन।

स्वतंत्रता के बाद के भारत में जय प्रकाश नारायण पहले नेता थे, जिन्होंने विशेषकर गुजरात और बिहार में युवाओं की भागीदारी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल का कार्यालय है। साम्यवादी समाजवाद का उनका सिद्धांत भारत को समुदायों के एक समाज के रूप में देखता है जिसमें तीन प्रमुख परतें शामिल हैं, समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र - सभी एक साथ मिलकर सच्चे संघ के उदाहरण के रूप में।

उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर, जय प्रकाश नारायण ने 'सम्पूर्ण क्रांति' के अपने आह्वान के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राज्य के परिवर्तन की वकालत की। संपूर्ण क्रांति के उनके आह्वान ने नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और पारिस्थितिक परिवर्तनों को शामिल करने की मांग की। उनके राजनीतिक परिवर्तन में याद करने का अधिकार, लोकतांत्रिक राजनीति में गाँव/मोहल्लासमितियों का महत्व और देश में स्वच्छ राजनीति के लिए राजनीतिक संघर्ष में शामिल होने के लिए अपर के लोग का आह्वान शामिल था।

उप-विषय: 'राम मनोहर लोहिया और समाजवाद'

राम मनोहर लोहिया भारत में समाजवाद के प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं। उन्होंने अपने समाजवाद को लोकतंत्र के साथ जोड़ते हुए 'लोकतांत्रिक समाजवाद' के विचार का समर्थन किया। लोहिया पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों को भारतीय समाज के लिए समान रूप से अप्रासंगिक मानते थे। लोकतांत्रिक समाजवाद के उनके सिद्धांत के दो उद्देश्य हैं - भोजन और आवास के रूप में आर्थिक उद्देश्य। और लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रूप में गैर-आर्थिक उद्देश्य।

लोहिया ने चौबुर्जा राजनीति की वकालत की जिसमें वे राजनीति के चार स्तंभों के साथ-साथ समाजवाद को भी मानते हैं: केंद्र, क्षेत्र,

जिला और गांव – सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सकारात्मक कार्रवाई पर विचार करते हुए लोहिया ने तर्क दिया कि सकारात्मक कार्रवाई की नीति न केवल दलितों के लिए बल्कि महिलाओं और गैर-धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी होनी चाहिए।

लोकतांत्रिक समाजवाद और चौबुर्जराजनीति के आधार पर, लोहिया ने सभी राजनीतिक दलों को विलय करने के प्रयास के रूप में 'समाजवाद की पार्टी' का समर्थन किया। लोहिया के अनुसार समाजवाद की पार्टी के तीन प्रतीक होने चाहिए, कुदाल [प्रयास करने के लिए तैयार], वोट [मतदान की शक्ति], और जेल [बलिदान करने की इच्छा]।

उप-विषय: 'दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद'

पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को 'एकात्म मानववाद' कहा जाता है जिसका उद्देश्य एक 'स्वदेशी सामाजिक-आर्थिक मॉडल' प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मनुष्य ही रहे। एकात्म मानववाद का उद्देश्य व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक मनुष्य के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। यह प्राकृतिक संसाधनों की सतत खपत का समर्थन करता है ताकि उन संसाधनों को फिर से भरा जा सके। एकात्म मानववाद न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है। जैसा कि यह विविधता को बढ़ावा देना चाहता है, यह भारत जैसे विविध देश के लिए सबसे उपयुक्त है।

एकात्म मानववाद का दर्शन निम्नलिखित तीन सिद्धांतों पर आधारित है:

- संपूर्ण की प्रधानता, भाग की नहीं
- धर्म की सर्वोच्चता
- समाज की स्वायत्तता

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिमी 'पूंजीवादी व्यक्तिवाद' और 'मार्क्सवादी समाजवाद' दोनों का विरोध किया। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार पूँजीवादी और समाजवादी विचारधाराएँ केवल मानव शरीर और मन की आवश्यकताओं पर विचार करती हैं, इसलिए वे

भौतिकवादी उद्देश्य पर आधारित हैं जबकि मानव के पूर्ण विकास के लिए आध्यात्मिक विकास को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है जो पूँजीवाद और समाजवाद दोनों में नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ने आंतरिक अंतःकरण, शुद्ध मानव आत्मा को चित्ती कहलाने के अपने दर्शन पर आधारित एक वर्गहीन, जातिविहीन और संघर्ष-मुक्त सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की।

दीनदयाल उपाध्याय ने लोकतंत्र के भारतीयकरण की वकालत की, विशेष रूप से आर्थिक लोकतंत्र पर ध्यान देने के साथ। उनके लिए विकेंद्रीकरण और स्वदेशी आर्थिक लोकतंत्र की नींव हैं। उनका दर्शन व्यापक रूप से अर्थयम के सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें कहा गया है कि अर्थ की अनुपस्थिति और प्रमुखता दोनों धर्म के विनाश और बदनामी की ओर ले जाती है जो एकात्म मानववाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

उप-विषय: 'लोकतांत्रिक उत्थान'

देश की लोकतांत्रिक राजनीति में लोगों की बढ़ती भागीदारी को मोटे तौर पर लोकतांत्रिक उत्थान के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर, सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में तीन लोकतांत्रिक उतार-चढ़ावों का वर्णन किया है।

1950 के दशक से 1970 के दशक तक 'प्रथम लोकतांत्रिक उत्थान' को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो केंद्र और राज्यों दोनों में लोकतांत्रिक राजनीति में भारतीय वयस्क मतदाताओं की भागीदारी पर आधारित था। पश्चिमी मिथक को झूठा बताते हुए कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आधुनिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा और मीडिया तक पहुंच की आवश्यकता है, संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत पर सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभाओं दोनों के लिए सफल चुनाव भारत के पहले लोकतांत्रिक उत्थान की गवाही थे।

1980 के दशक के दौरान, समाज के निचले वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को 'द्वितीय लोकतांत्रिक उत्थान' के रूप में व्याख्यायित किया गया है। इस भागीदारी ने भारतीय राजनीति को इन वर्गों के लिए अधिक उदार और सुलभ बना दिया है। यद्यपि इस उत्थान ने इन वर्गों, विशेषकर दलितों के जीवन स्तर में कोई

बड़ा बदलाव नहीं किया है, लेकिन इन वर्गों की सांगठनिक और राजनीतिक मंचों पर भागीदारी ने उन्हें अपने स्वाभिमान को मजबूत करने और देश की लोकतांत्रिक राजनीति में सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का अवसर दिया। देश।

1990 के दशक की शुरुआत से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग को प्रतिस्पर्धी बाजार समाज के उद्भव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इस प्रकार 'तीसरे लोकतांत्रिक उत्थान' का मार्ग प्रशस्त किया है। तीसरा लोकतांत्रिक उत्थान एक प्रतिस्पर्धी चुनावी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है जो योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर नहीं बल्कि योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित है। यह भारत के चुनावी बाजार में तीन बदलावों को रेखांकित करता है: राज्य से बाजार तक, सरकार से शासन तक, राज्य से नियंत्रक के रूप में राज्य से सुविधाकर्ता के रूप में। इसके अलावा, तीसरा लोकतांत्रिक उत्थान युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहता है जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और भारत की समकालीन लोकतांत्रिक राजनीति में विकास और शासन दोनों के लिए उनकी बढ़ती चुनावी वरीयता के मद्देनजर वास्तविक गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं।

अध्याय-7 : क्षेत्रीय आकांक्षा

उप-विषय: 'कश्मीर समस्या'

भारत संघ के साथ इसके एकीकरण के बाद से, स्वतंत्रता के बाद के भारत में कश्मीर ज्वलंत मुद्दों में से एक रहा है। समस्या तब और जटिल हो गई जब इसे अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के माध्यम से संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया - पूर्व ने इसे अपने अलग संविधान/संविधान सभा/ध्वज, मुख्यमंत्री के लिए प्रधान मंत्री और राज्यपाल के रूप में नए नामकरण जैसे विशेष अधिकार दिए। सदर-ए-रियासत, और राज्य में अधिकांश संघ कानूनों का गैर-प्रवर्तन, जबकि बाद में इसे विशेष नागरिकता अधिकार प्रदान करना, गैर-कश्मीरियों को राज्य में संपत्ति खरीदने से रोकना।

यह जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति के खिलाफ था कि अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का आह्वान किया गया था। अन्य लोगों ने अनुच्छेद 370 और 35ए की तुलना 'संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अलगाववाद' से की।

इसी पृष्ठभूमि में मौजूदा एनडीए सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35-ए को खत्म करने के लिए 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। यह बिल 6 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद, धारा 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में विभाजित हो गया।

अध्याय-8: भारतीय राजनीति में हालिया विकास

उप-विषय: 'एनडीए III और IV'

मई 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और भारतीय राजनीति में लगभग 30 वर्षों के बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली एक मजबूत सरकार की स्थापना हुई। हालांकि एनडीए III कहा जाता है, 2014 के बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन काफी हद तक अपनी पूर्ववर्ती गठबंधन सरकारों से अलग थे। जहां पिछले गठबंधनों का नेतृत्व राष्ट्रीय पार्टियों में से एक ने किया था, एनडीए III गठबंधन न केवल एक राष्ट्रीय पार्टी, यानी बीजेपी द्वारा संचालित था, बल्कि लोकसभा में अपने स्वयं के पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी का भी वर्चस्व था। इसे 'अधिशेष बहुमत गठबंधन' भी कहा जाता था। इस अर्थ में गठबंधन राजनीति की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है जिसे एक दल के नेतृत्व वाले गठबंधन से एक दल के प्रभुत्व वाले गठबंधन में देखा जा सकता है।

2019 के लोकसभा चुनाव, आजादी के बाद से 17वें, ने एक बार फिर 543 में से 350 से अधिक सीटें जीतकर भाजपा के नेतृत्व

वाले एनडीए [एनडीए IV] को सत्ता के केंद्र में ला दिया। भाजपा ने अपने दम पर लोकसभा में 303 सीटें जीतीं, जो सबसे बड़ी 1984 के बाद से जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने चुनावों में जीत हासिल की थी, तब से निचले सदन में कोई भी एक पार्टी जीती है। 2019 में भाजपा की उथल-पुथल भरी सफलता के आधार पर, सामाजिक वैज्ञानिकों ने समकालीन पार्टी प्रणाली की तुलना 'बीजेपी प्रणाली' से करना शुरू कर दिया है, जहां 'कांग्रेस प्रणाली' की तरह एकदलीय प्रभुत्व का युग एक बार फिर से लोकतांत्रिक राजनीति पर दिखने लगा है। भारत की।

उप-विषय: 'विकास और शासन के मुद्दे'

पहले से मौजूद योजनाओं के अलावा, विकास और शासन को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कई सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गई हैं जैसे -

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन-धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, आदि। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को वास्तविक लाभार्थी बनाकर प्रशासन को आम आदमी की दहलीज तक ले जाना है। केंद्र सरकार की योजनाएं।